मानसून से पूर्व सभी नालों की सफाई सुनिश्चित करें : संभागीय आयुक्त

कोटा, (निसं)। संभागीय आयुक्त एवं प्रशासक अनिल कुमार अग्रवाल ने गुरूवार को आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा के साथ शहर के विभिन्न नालों पर चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने आयुक्त एवं दोनों स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून आने से पूर्व सभी नालों की सफाई करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रशासक अग्रवाल एवं आयुक्त मेहरा सबसे पहले डीसीएम रोड स्थित नाले पर पहुंचे। इस नाले की कुछ ही दिनों पूर्व सफाई करवा दी गई थी, लेकिन सफाई के बाद नाले से आहर निकाला गया कुछ मलबा अब भी सड़क किनारे पड़ा था। प्रशासक अग्रवाल ने इस मलबे को भी तत्काल हटवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नाले की सड़क की ओर की दीवार को भी पक्की करवाने को कहा। इसके बाद उन्होंने कंसुआ मेनरोड स्थित नाले को देखा। यहां भी निगम द्वारा सफाई करवा दी गई है परन्तु मलबा सड़क किनारे पड़ा था। प्रशासक अग्रवाल ने कहा कि जिन भी नालों की सफाई करवाई जा रही है, वहां से मलबा भी साथ ही उठवाने की व्यवस्था करें। सफाई के बाद कई दिनों तक मलबा यदि सड़क किनारे पड़ा रहा तो उसके फिर से नाले में जाने की आशंका रहती है। यह नाला कुछ आगे जाकर नहर के नीचे से गुजर रहा है, वहां उन्हें झाडियां नजर आई, जिसे भी सफाई करवाने के निर्देश दिए।

रायपुरा पैट्रोल पम्प के पास के निरीक्षण के दौरान वहां जेसीबी सफाई कार्य कर रही थी। प्रशासक ने निर्देश दिए कि सफाई कार्य में जो भी संसाधन लगाए जाएं उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें। मशीन किसी भी समय खाली खड़ी नहीं रहनी चाहिए। इस नाले में कुछ जगहों तक जेसीबी कही पहुंच नहीं है जिसके लिए उन्होंने उस जगह को मैनुअली साफ करवाने के निर्देश दिए। यहां नाले पर बनी पुलिया की रैलिंग टूटी हुई थी। प्रशासक अग्रवाल ने आयुक्त को निर्देश दिए कि इसकी मरम्मत के लिए वे केडीए को पत्र भिजवाएं।

इसके बाद उन्होंने संजय नगर, ईएसआई अस्पताल तथा अनन्तपुरा थाना क्षेत्र के पास के नाले का भी निरीक्षण किया। संजय नगर क्षेत्र में जेसीबी से सफाई कार्य चल रहा था। प्रशासक ने वहां मलबा हटा रहे डम्परों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि मलबा जल्द से जल्द हट सके। ईएसआई अस्पताल के नाले के निरीक्षण के दौरान उन्हें बताया गया कि गुरूवार को सफाई कार्य देरी से प्रारंभ हुआ।

इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि काम सुबह जितनी देरी से प्रारंभ हो, शाम के समय उतनी अवधि अधिक कार्य किया जाए। अनन्तपुरा क्षेत्र में भी उन्होंने मलबे को जल्द हटवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त जनस्वास्थ्य भावना सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी मोतीलाल चौधरी व ऋचा शर्मा तथा संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक साथ रहे।

संभागीय आयुक्त एवं प्रशासक अनिल कुमार अग्रवाल ने निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा के साथ शहर के विभिन्न नालों पर चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण किया गया।

सार-समाचार

पिकअप पलटी, तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी पुलिस व एंबुलेस वाहन को टक्कर मारी

कोटा, (निसं)। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के पिकअप पलटने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की पेट्रोलिंग जीप 112 व एंबुलेंस 108 को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, गनीमत रही कि पुलिस और एंबुलेंस स्टाफ के साथ घायल पिकअप का चालक थोड़ा दूर था, ऐसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बूढ़ादीत थाने के एएसआई सुनील शर्मा ने बताया कि गुरूवार तकडे चार बजे करीब सूचना मिली कि मंडावरा टोल क्रॉस करने के बाद करीब 2 किलोमीटर आगे मंडावरा नाले के पास दिल्ली जाने वाली लेन पर एक हरियाणा नंबर की पिकअप पलट गई और पिकअप में भरे हुए कार्टन एक्सप्रेसवे पर फैल गए एवं चालक घायल हो गया है। सूचना पर पुलिस की पेट्रोलिंग जीप 112 टीम मौके पर पहुंची और मौके पर चिकित्सा विभाग की 108 एंबुलेस भी गुजर रही थी जिसे पुलिस ने रूकवाया। एंबुलेंस स्टाफ वाहन से थोड़ी दूर खड़े होकर हादसे में घायल पिकअप चालक हरियाणा के सिया गांव निवासी अमित सिंह उपचार कर रहा था कि तभी पीछे से तेज गति ट्रक ने एंबुलेंस को टक्कर मार दी, इससे 112 पेट्रोलिंग व्हीकल भी क्षतिग्रस्त हो गया और पास में दुर्घटनाग्रस्त पिकअप से भी वाहन जा भिडे। एएसआई ने बताया कि पुलिस और एंबुलेंस स्टॉफ के साथ पिकअप का चालक थोड़ा दूर था, ऐसे में कोई जनहानि नहीं हुई मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और ट्रक को भी जब्त किया गया हैं।

सड़क हादसे में बाईक सवार की मौत

कोटा, (निसं)। कनवास थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाईक सवार पिता की मौत हो गई, हादसे में बाईक पर सवार उसके दो बच्चे व एक रिश्तेदार भी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मामले में सामने आया कि बाईक सवार अपने गांव से दोनों बच्चों व रिश्तेदार के साथ अपने ससुराल जाने के लिये निकला था, झालावाड़-कोटा नेश्नल हाईवे-52 पर कनवास तिराहे के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने बाईक को टक्कर मार दी। हादसे में बाईक सवार ओंकार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी ईलाज के दौरान मौत हो गई, वही बच्चों व अन्य को भी चोट आई। दरा चौकी इंचार्ज एएसआई पथराम ने बताया कि मृतक दमोदपुर गांव निवासी ओंकार था। एएआई ने बताया कि ओंकार की पत्नी अपने पीहर अमझार गांव में थी, ओंकार बुधवार को दो बच्चो व एक रिश्तेदार को लेकर गांव से बाईक से अमझार जाने के लिये निकला था, कनवास तिराहे पर ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बाईक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में घायल ओंकार की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, अन्य के भी चोट आई मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। एएआई ने बताया कि ट्रक को डिटेन कर लिया चालक की तलाश जारी हैं।

कोटा मंडल से गुजरने वाली 6 विशेष गाड़ियों का परिचालन बढ़ाया गया

कोटा, (निसं)। गर्मियों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए एवं उनकी यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली 6 विशेष गाड़ियों के परिचालन की अवधि बढ़ाई गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि निम्न गाड़ियों का परिचालन विस्तारित किया गया है। गाड़ी संख्या 09451 (गांधीधाम - भागलपुर समर स्पेशल) साप्ताहिक शुक्रवार को चलेगी। यह गाड़ी 15 मई से 26 जून तक विस्तारित की गई है। गाड़ी संख्या 09452 (भागलपुर -गांधीधाम समर स्पेशल) साप्ताहिक सोमवार को चलेगी। यह गाड़ी 18 मई से 29. जून तक विस्तारित की गई है। गाड़ी संख्या 09097 (उधना-अयोध्या कैंट समर स्पेशल) साप्ताहिक मंगलवार को चलेगी। यह गाड़ी 19 मई से 28 जुलाई तक विस्तारित की गई है। गाड़ी संख्या 09098 (अयोध्या कैंट-उधना समर स्पेशल) साप्ताहिक बुधवार को चलेगी। यह गाड़ी 20 मई से 29 जुलाई तक विस्तारित की गई है। गाड़ी संख्या 09183 (मुंबई सेंट्रल-बनारस समर स्पेशल) साप्ताहिक बुधवार को चलेगी। यह गाड़ी 20 मई से 29 जुलाई तक विस्तारित की गई है। गाड़ी संख्या 09184 (बनारस-मुंबई सेंट्रल समर स्पेशल) साप्ताहिक शुक्रवार को चलेगी। यह गाड़ी 22 मई से 31 जुलाई तक विस्तारित की गई है।

उर्स की शुरुआत

छबड़ा (निसं)। नगर की पहाडी पर स्थित बाबा हज़रत मलंग शाह, हज़रत हाजी सब्ज़अली शाह व अता मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बुधवार को कुरआनख़्वानी व चादर पेश करने के साथ शुरू हो गया है। उर्स कमेटी के सदर रेवती गेरा ने बताया कि कस्बे के पहाडी पर स्थित बाबा हज़रत मलंग शाह, हज़रत हाजी सब्ज़अली शाह व अता मोहम्मद साहब का उर्स बुधवार से शुरू हुआ। इस मौके पर सुबह फजर की नमाज़ के बाद कुरआनख्वानी की गई एवं शाम को स्वर्गीय सेवाराम गेरा के घर से चादर का जुलूस निकाला गया। जुलूस मुख्य मार्ग से होता हुआ पहाडी पर पहुंचा तत्पश्चात दरगाह पर चादर पेश की गईं। जुलूस का अकीदतमंदों ने मुख्य मार्ग पर स्वागत किया। वही रात को इशा की नमाज़ के बाद से महफ़िल ए समा का दौर शुरू होगा जिसमें पहले दिन नईम अबरार साबरी ने अपने कलाम पेश किये। दूसरे दिन हाजी टिम्मू गुलफ़ाम मुश्ताक अली अपने कलाम पेश करेंगे तथा तीसरे दिन दिलशाद इरशाद साबरी अपने कलाम पेश करेंगे।

अण्डर-20 कुश्ती प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम रवाना

कोटा, (निसं)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित होने वाली अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की टीम गुरूवार को रवाना हुई। कोटा रेलवे स्टेशन पर राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के संरक्षक आईके दत्ता ने टीम को शुभकामनाएं देकर विदा किया। कोटा जिला कुश्ती संघ के कोषाध्यक्ष मोनू बराड़ ने बताया कि जयपुर में विगत दिनों अण्डर-17 तथा अण्डर-20 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों के विजेताओं का चयन अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम में किया गया है। टीम छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 10 अप्रेल से 12 अप्रेल तक आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल एवं ग्रीको रोमन वर्ग में राजस्थानक का प्रतिनिधित्व करेगी।

सफाई कार्य में लापरवाही पर दो कर्मचारी निलम्बित

कोटा, (निसं)। सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने दो सफाई कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया हैं। इसके अलावा तीन अन्य कर्मचारियों को चार्जशीट भी दी गई हैं। आयुक्त मेहरा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी मोतीलाल चौधरी ने कुन्हाडी सेक्टर क्षेत्र में कर्मचारियों की हाजिरी की जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि दो कर्मचारी आकाश पुत्र महेन्द्र नरवाला तथा राजकुमार पुत्र रेवडी लाल की रजिस्टरी में तो हाजिरी दर्ज है परन्तु वह मौके पर सफाई कार्य करते हुए नहीं मिले। उनके इस कृत्य को सफाई कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों को निलम्बित कर दिया गया है।

युवा व्यवसायी का हृदयाघात से निधन

छबड़ा (निसं)। छबड़ा के भामाशाह युवा व्यवसायी का गुरुवार सुबह हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया। सर्राफा व्यवसायी गोविन्द सोनी (56) पुत्र कस्तूरचंद सोनी प्रतिदिन की भांति गुरुवार सुबह भी मोर्निंग वक पर गए थे। सीने में दर्द होने पर घर आए और चिकित्सालय में ईसीजी होने के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। व्यवसायी की मृत्यु की सूचना से शहर वासी स्तब्ध रह गए। शाम चार बजे बड़े ही गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर बडे भाई राधेश्याम सोनी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने गोविंद सोनी के निधन पर संवेदना व्यक्त की।

हत्या का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। पुलिस ने 17 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। यह अपराधी जिले के टॉप-10 इनामी भगोडों में शामिल था और उस पर 12,000 रुपये का इनाम घोषित था। सीआई राजेश खटाना के अनुसार आरोपी सूर्यदेव (38) पुत्र भवानीशंकर निवासी कडैयानोहर को महेंद्रगढ़, हरियाणा से पकडा। उसे संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा।

राजश्री पान मसाला विज्ञापन मामला : सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच के लिए जिला उपभोक्ता कोर्ट कोटा ने फाइल एफएसएल भेजी

कोटा (निसं)। राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुडे मामले में आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोटा ने फिल्म अभिनेता सलमान खान के हस्ताक्षरों की सत्यता की जांच के लिए मामला राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), जयपुर को भेज दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि और कोर्ट का आदेश:- परिवादी भाजपा नेता इंद्र मोहन सिंह हनी ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी कि विपक्षी संख्या 02, सलमान खान की ओर से पेश किए गए वकालतनामे और जवाब पर किए गए हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं। इस आपत्ति पर संज्ञान लेते हुए, जिला उपभोक्ता अदालत ने 26 दिसंबर, 2025 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच एफएसएल से कराने और उन्हें स्वयं उपस्थित होकर अपना हस्ताक्षिरत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

राज्य उपभोक्ता आयोग से हटी रोक:- जिला अदालत के इस आदेश के विरुद्ध सलमान खान ने राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर में अपील की थी, जहाँ शुरुआत में इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। हालांकि, हाल ही में माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उस अंतरिम रोक को हटा लिया और निचली अदालत (कोटा कोर्ट) के आदेश को बरकरार रखा।

आज की कार्यवाही:- राज्य आयोग से रोक हटने के बाद, आज दिनांक 09.04.2026 को जिला उपभोक्ता कोर्ट, कोटा ने अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित दस्तावेज़ और पत्रावली एफएसएल, जयपुर को भेज दी है। एफएसएल द्वारा पूर्व में कुछ आपत्तियां (जैसे मूल दस्तावेजों की आवश्यकता) जताई गई थीं, जिनके संबंध में कोर्ट ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 21 अप्रैल, 2026 को नियत की गई है।

अधिवक्ताओं का वक्तव्य:- परिवादी वरिष्ठ भाजपा नेता एवं एडवोकेट इंद्र मोहन सिंह हनी तथा एडवोकेट रिपु दमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''न्यायालय का यह कदम सत्यता की जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने शुरू से यह तर्क दिया है कि कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों पर सलमान खान के हस्ताक्षर संदिग्ध हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी रिपोर्ट के माध्यम से हो जाएगा।''

जागरूकता अभियान चलाया

कोटा, (निसं)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), कोटा द्वारा गुरुवार को कोटा रेलवे स्टेशन पर उन यात्रियों के लिए एक विशेष जागरूकता एवं परामर्श अभियान चलाया गया जो प्लेटफार्म नम्बर 1 से अन्य प्लेटफार्मों पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग न करते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इस अभियान के तहत ऐसे यात्रियों को समझाया-बुझाया गया और उनसे अपील की गई कि वे अपनी जान की सुरक्षा के लिए सदैव फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक कप्तान सिंह एवं सहायक उप निरीक्षक अम्बर गौतम अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे और ट्रैक पार करते यात्रियों को रोककर उन्हें ट्रैक पर चलने के खतरों से अवगत कराया।

पूर्व सीएम राजे पहुंची छबड़ा, दिखी भावुक

छबड़ा (निसं)। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को यहां पहुंचकर वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मतसिंह सिंघवी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात की और परिजनों को ढांढस बंधाया। यहां सांसद दुष्यंतसिंह ने सिंघवी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। यहां बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, खानपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, राजेन्द्र नागर, रामकुमार मेहता, श्यामसुंदर शर्मा सहित बड़ी संख्या में जिलेभर के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर सिंघवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वसुंधरा राजे भावुक दिखी और उन्होंने दिवंगत सिंघवी के साथ भाजपा संगठन के लिए काम करने के दौरान के समय को याद किया और कहा कि वह एक समर्पित व प्रतिबद्ध कार्यकर्ता एवं उत्कृष्ट राजनेता थे।

रामगंजमंडी पेंशनर समाज उपशाखा द्वारा वार्षिक अधिवेशन व सम्मान समारोह का आयोजन

रामगंजमंडी, (निसं)। पेंशनर समाज उपशाखा रामगंजमंडी द्वारा 08 अप्रैल बुधवार को अधिवेशन व सम्मान समारोह का मेड़तवाल धर्मशाला जुल्मी रोड़ रामगंजमंडी में आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दोपहर 1 बजे रमेशचन्द्र गुप्ता जिलाध्यक्ष एवं राज्यस्तरीय उपाध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि दिनेश चन्द्र शर्मा जिला कोषाधिकारी, सरिता दयाल उप निदेशक पेशन एवं पेंशनर कल्याण, मोहम्मद फरीद कुरैशी जिला उपाध्यक्ष एवं संभागीय मंत्री दिलिप जांगिड़ व्यवस्थापक बिरला आई अस्पताल कोटा, रवीश रजनीकांत मेनेजर एसबीआई बैंक रामगंजमंडी व गिरिराज किशोर मीणा अध्यक्ष उपशाखा रामगंजमंडी ने समारोह का दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ शुभारंभ किया।

समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत मदनलाल धाकड़, प्रकाशचन्द शर्मा, रमेश वर्मा व गिरिराज किशोर भीणा ने सभी अतिथियों का सरोपा भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में 75 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 21 सदस्यों का तिलक व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इसी क्रम में 31 नये सदस्यों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में रामप्रसाद परालिया ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 26 से पूर्व के पेंशनरों के साथ भेदभाव पूर्ण अपनाने की कोशिश की जा रही है, उसका सभी से पुरजोर विरोध करने की अपील की। जिलाध्यक्ष रमेशचन्द्र गुप्ता ने भी पेंशनरों को एक जुट रहकर जिला व राज्य स्तर पर आन्दोलन करने की पुरजोर अपील की। कार्यक्रम को मोहम्मद फरीद कुरैशी, मोहनलाल चौधरी, भँवर सिंह राजावत, रमेशचंद्र गुप्ता जिलाध्यक्ष व व्यवस्थापक बिरला आई अस्पताल कोटा दिलिप जांगिड ने भी सम्बोधित किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन नरेश शर्मा ने किया।

कार्यक्रम में बाहर से पधारे प्रतिनिधि शान्तिलाल मीणा, धनराज शर्मा, राजेन्द्र शर्मा, डॉ.गोविन्द यादव व डॉ.हेमराज मीणा की भी गरिमामय उपस्थिति के साथ रामगंजमंडी महित उपशाखाओं के लगभग 400 सदस्य उपस्थित थे। साथ ही रामकिशन पटवा, रंगलाल मीणा,नारायण लाल वर्मा, रामप्रताप गौतम, घनश्याम गुप्ता, ओम माहेश्वरी, कौशल्या देवी शर्मा, रामेश्वर गुप्ता, रामकिशन शर्मा, मांगीलाल बैरागी, रामचन्द्र वैष्णव, बनवारीलाल बैरवा व प्रभुलाल मेघवाल ने भी उपस्थित रहकर आयोजन में सहयोग किया।

भारतीय किसान संघ ने आक्रोश जताया

कोटा, (निसं)। हाड़ौती क्षेत्र में एक किसान की असामयिक मृत्यु ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। भारतीय किसान संघ ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए इसे प्रशासनिक हत्या करार दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते प्रशासन ने किसानों की जायज मांगों पर ध्यान दिया होता, तो आज एक परिवार का सहारा नहीं छिनता। इस घटना को लेकर किसानों में भारी रोष व्याप्त है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी

भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष गिरीराज चौधरी और जिला अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने कहा कि संगठन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिला कलेक्टर और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को काफी समय पहले ही वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया था। उन्होंने बताया कि उपज की खरीद में क्वालिटी मानकों को लेकर आ रही समस्याओं और उसमें दी जाने वाली छूट की अनिवार्यता को लेकर बार-बार चेताया गया था।

पदाधिकारियों ने कहा कि हाड़ौती का किसान पहले ही मौसम की मार और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। संगठन के प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि कंपनियों की मनमानी के आगे सरकारी तंत्र बौना साबित हो रहा है।

शिविर आयोजित

छबड़ा (निसं)। यहां के डिवाइन स्कूल ऑफ एजुकेशन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चौधरी एवं न्यू टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 अमरजीत सिंह द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को परस्पर संवादात्मक रूप से साइबर दुर्व्यवहार के प्रति जागरूक करना तथा इससे बचाव के उपाय सुझाना था।

डॉ. दयाकृष्ण विजय जयंती पर काव्य गोष्ठी का आयोजन

कोटा, (निसं)। डॉ. दयाकृष्ण विजय स्मृति साहित्य संस्कृति संवर्धन समिति, कोटा के तत्वावधान में डॉ. दयाकृष्ण विजय की जयंती के अवसर पर बुधवार सायंकाल विजयवर्गीय भवन नयापुरा में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय साहित्य परिषद, चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष विष्णु शर्मा हरिहर, कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार भगवती प्रसाद गौतम, विशिष्ट अतिथि के रूप में रामेश्वर शर्मा रामू भैया एवं कोटा जिला साहित्य परिषद अध्यक्ष पूर्व महापौर महेश विजय मंचस्थ रहे।

कोटा में डॉ. दयाकृष्ण विजय की जयंती मनाई गई है।

काव्य गोष्ठी का संचालन विष्णु शर्मा हरिहर ने किया तथा आभार व्यक्त कवि डॉ. दयाकृष्ण विजय के पुत्र भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय ने किया। अतिथियों नें साहित्यकार डॉ. विजय के बारे में बताया कि डॉ. दया कृष्ण विजय अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे एवं दो बार राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे एवं उनकी 52 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों में से वे एक थे और उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम (अमेरिका) मैं भी सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तकें देश-विदेश के पुस्तकालयों में संग्रहीत हैं। उन्होंने अनेक कालजयी रचनाओं की रचना की।

आकाशवाणी कोटा के सहायक अधिकारी रामनारायण हलधर ने डॉ. दयाकृष्ण विजय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉ. विजय साहित्य जगत में राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख मनीषी रहे है, उनकी रचनाओं के आलोक में भी वे लंबे समय तक याद रहेंगे। उन्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। युवा कवि हैम सिंह ने प्रेम में किंचित दोष नहीं कविता पर तालियां बटोरी तो, महेश विजय मां भारती ने हे कृष्ण कृपा कीजो, हे कृष्णा दया कीजो, ई धरती पर फिर से दया कृष्णा दीजो के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रेम शास्त्री ने संविधान के अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कविता प्रस्तुत की कृष्धारा हट गई, घाटी बच गई, वरना हो रही थी बर्बाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद। सुप्रसिद्ध कवि बाबू बंजारा ने महाराणा प्रताप के घायल चेतक पर कविता प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण माहौल को भावुक कर दिया सूतो काँईं रे चेतक, युद्ध में पवन बेग सूं भाग रे, भायली ओर निभाले रे, धरा की सेवा करलेंवा रे।

इसी प्रकार ममता महक ने मातृभूमि वंदना पर कविता प्रस्तुत की कृष्नमन करो इसके कण-कण को, कंकड़ हो या पानी हो। काव्य गोष्ठी में अनेक कवियों ने डॉ. विजय के सम्मान में रचित कविताएं प्रस्तुत की तथा उनकी रचनाओं का वाचन किया। राष्ट्रवाद, संस्कार संवर्धन, देश विभाजन एवं सामाजिक समस्याओं जैसे विषयों पर काव्य पाठ हुआ।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भगवती प्रसाद गौतम, रामेश्वर शर्मा रामू भैया, महेश विजय मां भारती, कवि बाबू बंजारा, योगीराज योगी, रामनारायण हलधर, देवकी दर्पण, विजय जोशी, हेमराज सिंह हेम, राजेंद्र शर्मा मोरपा, डॉ. इंदुबाला, शैलजा विजयवर्गीय, संगीता परमेन्द्र, कमलेश चौधरी कमल, रमा शर्मा निर्भीक, ममता महक, भगवत सिंह मयंक, नहुष व्यास, राम शर्मा कापरेन, डॉ. वीणा अग्रवाल, प्रेम शास्त्री, कालीचरण राजपूत, राम मनोहर कौशिक, देवकी दाधीच, जी.पी. खंडेलवाल आनंद, रघुनंदन हठीला सहित अनेक साहित्यकारों ने काव्यपाठ किया। इसके अतिरिक्त महावीर विजय, रवि विजय, अरविंद सिसोदिया, रजनीश राणा, राजीव शाक्यवाल, प्रकाश विजय, प्रमोद विजय, राजेन्द्र विजय, ओमप्रकाश विजय, विनोद विजय, पुरुषोत्तम दाधीच, किशोर सिंह, अमित उराड़िया आदि गणमान्यजन भी उपस्थित रहे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

लोकसूचना

क्रमांक : LU2012/KOT/2025-26/101150 दि.09.04.2026

श्री KAMAL KANT SHARMA पुत्र श्री VIRENDRA KUMAR SHARMA जाति BRAHMAN निवासी UIT COLONY VIVEKA NAND NAGAR KOTA H.N. 223 VHL NEAR MEDICAL COLLEGE, ENGINEERING COLLEGE KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रघुनाथपुरा, तालेड़ा (बूंदी)	KALU LAL S/O MANGI LAL CASTE-MEENA SA. DEH KHATEDAR	608/425	5909	0.5909
				कुल	0.5909

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09/04/2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11 विक्रय/2026/920 दिनांक : 09.04.2026

नाम हस्तांतरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 156 श्रीनाथपुरम-ए आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 679 दिनांक 08.03.1996 को श्री विपिन कुमार द्विवेदी पुत्र स्व. श्री नाथूलाल द्विवेदी के नाम आवंटन किया गया था। श्री विपिन कुमार द्विवेदी पुत्र स्व. श्री नाथूलाल द्विवेदी द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री एच.बी. नन्दवाना पुत्र श्री जुगल किशोर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2002 को श्री सुशील कुमार गोधा पुत्र श्री दुली चन्द गोधा को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री सुशील कुमार गोधा पुत्र श्री दुली चन्द गोधा द्वारा उक्त भूखण्ड़ का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 156 श्रीनाथपुरम-ए आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री सुशील कुमार गोधा पुत्र श्री दुली चन्द गोधा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा

क्रमांक-38 जाहिर आम सूचना दिनांक-9.4.26

आवास संख्या 2-डी-5 विकास नगर, बून्दी का आवंटन मण्डल द्वारा श्री अब्दुल नईम मन्सूरी पुत्र श्री अब्दुल वहीद मन्सूरी को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती शाहिदा बी पत्नी स्व. श्री अय्यूब खान के नाम दिनांक 25.10.2013 को किया गया। उक्त आवास का पंजीयन श्रीमती शाहिदा बी पत्नी स्व. श्री अय्यूब खान द्वारा दिनांक 25.11.2013 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती शाहिदा बी पत्नी स्व. श्री अय्यूब खान द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 21.02.2014 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री रविन्द्र कुमार मलहोत्रा पुत्र स्व. श्री गुरुबख्श राय मलहोत्रा को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री रविन्द्र कुमार मलहोत्रा पुत्र स्व. श्री गुरुबख्श राय मलहोत्रा मुख्तार आम श्रीमती शाहिदा बी पत्नी स्व. श्री अय्यूब खान द्वारा मुख्तारनामा आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 25.07.2016 को श्रीमती आशा असावा पत्नी श्री अशोक असावा को किया गया। श्रीमती आशा असावा पत्नी श्री अशोक असावा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-डी-5 विकास नगर, बून्दी को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती आशा असावा पत्नी श्री अशोक असावा का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती आशा असावा पत्नी श्री अशोक असावा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती आशा असावा पत्नी श्री अशोक असावा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपांतरण नगर परिषद, बारां

क्रमांक-नपबा/रूपा./2025/12942 लोक सूचना दिनांक-24.03.2026

श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री प्रभुदयाल निवासी आयुर्वेदिक भवन के पास बारां तह. व जिला बारां राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील जिला बारां	गजनपुरा	493	1.25 है. में से 0.5 है.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने अपेक्षा प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है, और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज..... को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

कार्यालय नगर पालिका अन्ता जिला-बारां (राज.)

क्रमांक:-न.पा.अ./भूमि/2026/91-94 प्रारूप-10 दिनांक : 9.4.2026

(नियम 6 (7) देखिए)

लोक सूचना

श्री गोपाल, जितेन्द्र पुत्र श्री महावीर, दिपा पुत्री महावीर, श्रीमती संतोष बाई पत्नी स्व. महावीर, प्रेमचन्द, रामचरण, रामप्रसाद पुत्रगण मन्नालाल, सोनू कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी अंता जिला-बारां (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला-बारां तहसील-अन्ता	राजस्व ग्राम बमोरी पटवार हल्का बमोरी तह. अन्ता	745, 744, 758, 759 रकबा कुल किता 4 हैक्ट. 1.40 है.	14001.25 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ....को जारी की गयी।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अन्ता